Publication	Punjab Kesari
Language/Frequency	Hindi/Daily
Page No	05
Date	25th Jan 2020

पंजाब केसरी

केंद्रीय बजट को लेकर कारोबार जगत ने लगाई उम्मीदें

बजट से उम्मीदें

-होम लोन में छूट बढाई जाए
-25 हजार करोड़ के फंड को सक्रिय किया जाए
-रियल एस्टेट को उद्योग का दर्जा मिले
-सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया जाए
-एनसीएलटी के नियमों में बदलाव हो
-आयकर 80 सी टैक्स स्लैब में छूट हो

जीडीपी में आठ फीसद योगदान देने वाला रियल एस्टेट मंदी का शिकार

गुड़गांव, 24 जनवरी (मार्कण्डेय पाण्डेय): आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही अर्थव्यवस्था के लिए रियल एस्टेट संजीवनी का कार्य कर सकता है क्यों कि यह कुल 254 उद्योगों को प्रभावित करता है। मानव श्रम शक्ति को सबसे अधिक प्रयोग करने और रोजगार सृजन करने वाला रियल एस्टेट क्षेत्र कमोबेश दशक भर से अधिक समय से मंदी की मार झेल रहा है। इस सदी के तीसरे दशक का पहला और गत तीन दशकों के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट प्रस्तुत होने जा रहा है जिससे कारोबारियों ने उम्मीदें लगा रखी है।कारोबारियों के पास जहां अर्थव्यवस्था को लेकर सपने हैं तो खरीदारों से किए वादे है जो पूरे करने हैं।दूसरी तरफ सरकारी नियमों की मयार्दित घेरेबंदी है जिसके अंतगत वह सरकार से सहूलियतों की मांग कर रहे हैं। तो वहीं खरीदारों ने भी एक सुर से कहा है कि हमें भी होम लोन की दरों में छूट मिलनी चाहिए।देश की अर्थव्यवस्था में रियल एस्टेट का सबसे अधिक आठ फीसद योगदान है।कारोबारियों ने केंद्र सरकार से गुहार लगाई है कि आयकर अधिनियम की धारा 24 के तहत होम लोन की दरों पर दिए जाने वाले 2 लाख रुपये की छूट को बढ़ाया जाना चाहिए। इससे सबसे अधिक फायदा किफायती आवासों को होगा और सरकार के सबके लिए आवास लक्ष्य भी हासिल करने में आसानी होगी।आयकर में की 80सी के अन्तगर्त 1.5 लाख रुपये पसर्नल टैक्स छूट का प्रावधान है जो कि 2014 में एक लाख से बढ़ाकर डेढ़ लाख किया गया था। उसके बाद आज तक भी इसमें इजाफा नहीं किया गया है लेकिन अब इस टैक्स स्लैब को रि-एडजस्ट करने पर भी सरकार को विचार करने की जरूरत है। इसी के साथ अधूरे पड़े फ्लैटस को लेकर केंद्र सरकार ने खरीदारों के लिए 25 हजार करोड़ रुपए के फंड बनाया है उसे तत्काल सक्रिय करना होगा।

उम्मीद है सरकार सिंगल विंडो लागू करे जिससे परियोजनाएं तेजी से पूरी की जा सकें। बिल्डर के लिए नई टैक्स बेनिफिट योजनाएं लाई जाएं। घर खरीदारों के लिए टैक्स में कटौती की जाए। इसके अलावा रियल एस्टेट में किफायती आवासों में स्टैंप ड्यूटी में छूट मिले। 25,000 हजार करोड़ के फंड को सक्रिय करने के साथ ही किफायती श्रेणी के आवासों के लिए नई योजनाएं लाई जाएं।

- परवीन अग्रवाल, फाउंडर व चेयरमैन, सिग्नेचर सत्वा

हरियाणा सरकार की तरह ही किफायती आवासों के लिए केंद्र सरकार को भी नियम बनाने चाहिए ताकी अधिक से अधिक लोगों को फायदा मिल सके। विकास को पुनर्जीवित करने के लिए अधिक नकदी के निष्पादन से एनबीएफसी संस्थाओं को मदद मिलेगी और भूमि कानून में सुधार भी अपेक्षित है।

-रजत गोयल, ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर, एमआरजी वर्ल्ड

केंद्रीय बजट 2020 में हम चाहते हैं कि रियल एस्टेट को उद्योग का दर्जा दिया जाए इससे कम लागत के ऋणों में बढोत्तरी होगी जिसका फायदा आम लोगों को होगा। आवासीय परियोजनाओं के पूरा होने के लिए एआईएफ को सक्रिय किया जाए। सिंगल विंडो की मांग अब भी बनी हुई है जिससे प्रोजेक्ट जल्दी पूरा किया जा सके। रियल एस्टेट क्षेत्र में विकास को पुनर्जीवित करने के लिए अधिक नकदी के निष्पादन से एनबीएफसी संस्थाओं को मदद मिलेगी और भूमि कानून में सुधार भी अपेक्षित है। ***संतोष अग्रवाल, सीएफओ, अल्फाकॉर्प***

परियोजनाओं की समय सीमा बढ़ने के पीछे भूमि अधिग्रहण की जटिल प्रक्रिया भी शामिल है। हमें उम्मीद है कि सरकार भूमि सुधारों को लागू कर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज करेगी। बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा दिये जाने की भी उम्मीद है, यह रियल एस्टेट के विकास को प्रोत्साहित करेगा।

- रवीश कपूर, प्रबंध निदेशक, एस्सान ग्रुप

उम्मीद है कि किफायती सेक्टर में मदद के लिए कुछ और उपाय किए जाने चाहिए। वित्त मंत्री को नीतिगत बदलाव करना आना चाहिए, जिससे डेवलपर्स अधिक से अधिक प्रोजेक्ट ला सकें और बनाएं, जिससे लोग अधिक से अधिक घर खरीद सकें।

-सुरेंद्र सिंह होरा, चेयरमैन, रीयलिस्टिक रियल्टर्स

जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट की फिर से शुरुआत करना होगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट लाभ के साथ, संपत्ति की कीमतें नियंत्रण में रहेंगी। जीएसटी के दायरे में स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क भी लाना होगा। उम्मीद है कि इस वर्ष के पूर्ण बजट में आयकर अधिनियम, 1961 की आयकर छूट सीमा को मौजूदा 2.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया जाएगा।

-मोहित मित्तल, आरओएफ